

न्यायालय सहायक कलक्टर, (Fast Track) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 01/2020

वादीगण

1 खंगाराराम 2 सवाईराम 3 लुणाराम
4 चेतनराम पिसरान पुरखाराम जाति
कुम्हार निवासी जसोताणियों की
ढाणी (भाड़खा) तहसील बाडमेर 5
मीरों देवी पुत्री पुरखाराम पत्नी
लीलाराम जाति कुम्हार निवासी गूगा
तहसील शिव 6 हस्तुदेवी पुत्री
पुरखाराम पत्नी नेमाराम जाति
कुम्हार निवासी बोधिया जोगी
तहसील व जिला बाडमेर।

प्रतिवादीगण

1 पुरखाराम पुत्र भोपाराम जाति
कुम्हार निवासी जसोताणियों की
ढाणी (भाड़खा) तहसील व जिला
बाडमेर।

बनाम

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

- उपस्थिति :- 1. श्री भोमाराम चौधरी, वकील वादीगण।
2. श्री मेघाराम चौधरी, वकील प्रतिवादी।

निर्णय

दिनांक 07/07/20

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01, भोपाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक भूमि मौजा जसोताणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 159 रकबा 97.13 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के पिता भोपाराम की फौतगी पर वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 01 पुरखाराम के नाम दर्ज हुई। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 पुरखाराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/7-1/7 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 पुरखाराम की ओर से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 पुरखाराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/7-1/7 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित कर 1/7-1/7 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

वादी संख्या 03 लुणाराम द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादी संख्या 03 लुणाराम द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
बाड़मेर

जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 पुरखाराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/7-1/7 हिस्सा घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 एवं राजीनामा का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 पुरखाराम के साथ अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा जसोताणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 159 रकबा 97.13 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 पुरखाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी 01 प्रत्येक का 1/7-1/7 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नीरज मिश्र)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) बाडमेर

निर्णय आज दिनांक ...07/02/20... को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) बाडमेर

न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.)

अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीगण

1 खंगाराराम 2 सवाईराम 3 लुणाराम 4
चेतनराम पिसरान पुरखाराम जाति
कुम्हार निवासी जसोताणियों की ढाणी
(भाडखा) तहसील बाडमेर 5 मीरों देवी
पुत्री पुरखाराम पत्नी लीलाराम जाति
कुम्हार निवासी गूंगा तहसील शिव 6
हस्तुदेवी पुत्री पुरखाराम पत्नी नेमाराम
जाति कुम्हार निवासी बोधिया जोगी
तहसील व जिला बाडमेर।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 01/2020

निर्णय दिनांक :- 07/02/20

प्रतिवादीगण

बनाम 1 पुरखाराम पुत्र भोपाराम जाति कुम्हार
निवासी जसोताणियों की ढाणी (भाडखा)
तहसील व जिला बाडमेर।

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख
07/02/20 को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाडमेर के समक्ष अन्तिम
निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी
जाती है कि :-

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा जसोताणियों की
ढाणी पटवार क्षेत्र भाडखा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 159 रकबा 97.13
बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 पुरखाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया
जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी 01 प्रत्येक का 1/7-1/7 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया
जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान
अपना-अपना वहन करें।

यह आज तारीख 07/02/20 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा
लगाकर दी गई।



(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

वाद के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादी | |
|---------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| | रुपया | | रुपया |
| 1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | |
| 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | अर्जी के लिए स्टाम्प | |
| 3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | | प्लीडर की फीस | |
| 4 रूपये पर प्लीडर की फीस | | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | |
| 5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय | | आदेशिका की तागील | |
| 6 कमिश्नर की फीस | | कमिश्नर की फीस | |
| 7 आदेशिका की तागील | | | |
| | जोड़ | | जोड़ |

न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.)
अनवान

संशोधित अन्तिम डिक्री

वादीगण

1 खंगाराराम 2 सवाईराम 3 लुणाराम 4
चेतनराम पिसरान पुरखाराम जाति
कुम्हार निवासी जसोताणियों की ढाणी
(भाड़खा) तहसील बाड़मेर 5 मीरों देवी
पुत्री पुरखाराम पत्नी लीलाराम जाति
कुम्हार निवासी गूंगा तहसील शिव 6
हस्तुदेवी पुत्री पुरखाराम पत्नी नेमाराम
जाति कुम्हार निवासी बोथिया जोगी
तहसील व जिला बाड़मेर।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 01/2020

संशोधित निर्णय दिनांक :- 12.03.20


प्रतिवादीगण

1 पुरखाराम पुत्र भोपाराम जाति कुम्हार
निवासी जसोताणियों की ढाणी (भाड़खा)
तहसील व जिला बाड़मेर।

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख
.....12.03.20 को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम
निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और संशोधित अन्तिम डिक्री
निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा जसोताणियों की
ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 159/1 रकबा
97.13 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 पुरखाराम के साथ सहखातेदार घोषित
किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी 01 प्रत्येक का 1/7-1/7 हिस्सा खातेदारी का घोषित
किया जाता है। तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा
पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह आज तारीख12.03.20 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा
लगाकर दी गई।


(नीरज मिश्र)

पीठासन अधिकारी
सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक)
बाड़मेर

वाद के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादी | |
|----------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| | रूपया | | रूपया |
| 1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | |
| 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | अर्जी के लिए स्टाम्प | |
| 3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | | प्लीडर की फीस | |
| 4 रूपये पत्र प्लीडर की फीस | | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | |
| 5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय | | आदेशिका की तामील | |
| 6 कमिश्नर की फीस | | कमिश्नर की फीस | |
| 7 आदेशिका की तामील | | | |
| | जोड़ | | जोड़ |